Bihar Madhyamik Shiksha Parishad
8th Floor, Bihar School Examination Board
(Sr.Section) Building, Buddha Marg, Patna

पत्रांक : BMSP/SMDC/589/16-313 दिनांक : 7 अप्रैल, 2017

प्रेषक :

के० सेंथिल कुमार (भा०प्र०से०)
राज्य परियोजना निदेशक,
बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद्, पटना।

सेवा में,

जिला शिक्षा पदाधिकारी/
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (RMSA),
सभी जिले, बिहार।

विषय : राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति गठित करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) के विद्यालयस्तरीय गतिविधियाँ सुनिश्चित करने हेतु विद्यालयस्तर पर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मानदंडों के अनुरूप निदेशानुसार निम्न कमिटी का गठन करने हेतु इस कार्यालय के पूर्व में दिये गये निदेश को निम्न रूप से संशोधित किया जाता है।

(1) विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति SMDC

उप समिति – (1) विद्यालय भवन समिति (School Building Committee)
(2) विद्यालय शैक्षणिक समिति (School Academic Committee)

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के निहित प्रावधानों के अनुसार उक्त कमिटी की संरचना एवं कार्य निम्नवत् होगें।

(1) विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति

संरचना –

क्र०सं०	सदस्य	पद
1	प्रधानाध्यापक	अध्यक्ष
2	सहायक शिक्षक, समाजिक विज्ञान	सदस्य
3	सहायक शिक्षक, विज्ञान	सदस्य
4	सहायक शिक्षक, गणित	सदस्य
5	क्रमांक 1 से 4 तक के सदस्यों द्वारा चयनित पुरूष अभिभावक (सुझाव–नवम वर्ग में अधिकतम अंक पाने वाले छात्र/छात्रा के पिता)	सदस्य
6	क्रमांक 1 से 4 तक के सदस्यों द्वारा चयनित महिला अभिभावक (सुझाव–नवम वर्ग में अधिकतम अंक पाने वाली छात्रा/CWSN छात्र/छात्रा की माता)	सदस्य
7	पंचायती राज संस्था दो प्रतिनिधि (पंचायती राज संस्था जिसमें विद्यालय अवस्थित हो के शिक्षा विकास समिति के सदस्य)	सदस्य
8	अनुसूचित जाति जनजाति के प्रतिनिधि (अभिभावक)	
9	शैक्षणिक रूप से पिछड़े/अल्प संख्यक समुदाय के प्रतिनिधि (यथासंभव अभिभावक)	सदस्य

9	शैक्षणिक रूप से पिछड़े/अल्प संख्यक समुदाय के प्रतिनिधि (यथासंभव अभिभावक)	सदस्य
10	महिला समूह की एक प्रतिनिधि (जीविका, महिला समूह की सदस्या)	सदस्य
11	ग्रामीण शिक्षा समिति के प्रतिनिधि (जिसमें विद्यालय अवस्थित हो)	सदस्य
12	विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं आर्ट क्राफ्ट एवं संस्कृति पृष्ठभूमि के तीन स्थानीय व्यक्ति (जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा नामित किये जायेगें)	सदस्य
13	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा नामित शिक्षा विभाग के पदाधिकारी DPO/PO/BEEO – विशेष आमंत्रित सदस्य	सदस्य
14	लेखा एवं अंकेक्षण विभाग के एक प्रतिनिधि – विशेष आमंत्रित सदस्य	सदस्य
15	वरीय शिक्षक	सदस्य सचिव

उक्त सदस्यों में यदि किसी प्रतिनिधि/सदस्य का पद रिक्त हो तो भी समिति का गठन किया जा सकेगा तथा समिति कार्य करती रहेगी।

कार्यः–

(1) विद्यालय से संबंधित सूचनाओं एवं आंकड़ों का DCF में संकलन सुनिश्चित करना एवं आंकड़ों के विश्लेषण के उपरांत विद्यालय के समुचित संचालन हेतु योजना का निर्माण

(2) विद्यालय दैनिक संचालन का सतत अनुश्रवण करना

(3) विद्यालय के शैक्षणिक गतिविधियों का नियमित संचालन सुनिश्चित करना तथा संचालन संबंधी समस्याओं को चिन्हित कर सुधारात्मक उपाय सुझावित करना एवं कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना।

(4) विद्यालय की आधारभूत संरचना के विकास एवं रख–रखाव के संबंध में निर्णय लेना एवं विद्यालय भवन निर्माण समिति को अनुशंसा भेजना।

(5) विद्यालय के शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक कार्यकलापों के कार्यान्वयन में सकारात्मक भूमिका निभाना

(6) विद्यालय प्रबंध समिति की बैठकों में विद्यालय के सभी आवर्त्ती एवं गैर आवर्त्ती व्यय संबंधी अभिलेखों एवं अन्य कार्यकलापों के संबंध में सूचना देना एवं सहमति प्राप्त करना।

विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति के अंतर्गत विद्यालय भवन समिति एवं विद्यालय शैक्षणिक समिति उप समिति के रूप में कार्य करेगी जिनकी संरचना एवं कार्य निम्न होगें।

(1) विद्यालय भवन समिति (School Building Committee)

संरचना – इस कमिटी की संरचना निम्नवत होगी –

क्र०सं०	सदस्य	पद
1	विद्यालय के प्रधानाध्यापक	अध्यक्ष
2	पंचायती राज संस्था जिसमें विद्यालय अवस्थित है कि प्रतिनिधि	सदस्य
3	प्रधानाध्यापक द्वारा मनोनीत अभिभावक	सदस्य
4	असैनिक अभियंता/BSEIDC/PWD सर्व शिक्षा अभियान– परामर्शी सदस्य	सदस्य
5	लेखा और अंकेक्षण विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
6	वरीय शिक्षक	सदस्य सचिव

PTO

कार्यः– विद्यालय भवन समिति के निम्न कार्य होगें –

(1) विद्यालय में आवश्यक आधारभूत संरचना के विकास की योजना बनाना एवं इससे संबंधी प्राक्कलन निर्माण प्रबंधन, अनुश्रवण, पर्यवेक्षण एवं प्रतिवेदन तैयार करना।

(2) असैनिक कार्यो के संबंध में लेखा का संधारण।

(3) असैनिक कार्यो के संबंध में वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन तैयार करना।

(4) विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति की बैठकों में विद्यालय में निर्माणाधीन असैनिक कार्य के संबंध में प्रतिवेदन स्थापित करना तथा विद्यालय में आवश्यक निर्माण नवीकरण, मरम्मति इत्यादि के संबंध में प्रस्ताव देना।

(2) विद्यालय शैक्षणिक समिति (School Academic Committee)

संरचना –

क्र०सं०	सदस्य	पद
1	प्रधानाध्यापक	अध्यक्ष
2	प्रधानाध्यापक द्वारा मनोनीत अभिभावक	सदस्य
3	विज्ञान अथवा गणित के एक शिक्षक (अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा चयनित)	सदस्य
4	सामाजिक विज्ञान के सहायक शिक्षक	सदस्य
5	विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा चयनित नवम् वर्ग के एक छात्र एवं एक छात्रा	सदस्य
6	वरीय शिक्षक	सदस्य सचिव

विद्यालय शैक्षणिक समिति के कार्य–

(1) विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करना इसके लिए कमिटी द्वारा शैक्षणिक योजना बनायी जायेगी, शैक्षणिक प्रबंधन, अनुश्रवण, पर्यवेक्षण, प्रतिवेदन एवं आंकड़ों के संग्रहण पर भी कार्य किया जायेगा तथा वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा।

(2) विद्यालय शैक्षणिक समिति यह भी सुनिश्चित करेगी की विद्यालय में शिक्षण प्रक्रिया समता मूलक (Equity based) हो तथा इसके अंतर्गत सामाजिक आर्थिक लिंग तथा निःशक्तता संबंधी अवरोधों को कम (minimise) किया जाय।

(3) छात्र एवं शिक्षकों की उपस्थिति का अनुश्रवण भी इस समिति द्वारा किया जायेगा।

(4) विद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण की अनुशंसा की जायेगी।

(5) छात्रों के लिए मार्गदर्शन एवं परामर्श (Guidance & Counselling) संबंधी गतिविधियों का संचालन किया जायेगा।

(6) विद्यालय के छात्रों की उपलब्धियों (शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक) की समीक्षा की जायेगी तथा तद्नुसार विद्यालय प्रशासन को दिया जायेगा।

(7) विद्यालय शैक्षणिक समिति विद्यालय के छात्रों एवं शिक्षकों के व्यक्तित्व के समग्र विकास की योजना बनायेगी तथा इसके क्रियान्वयन के संबंध में अनुशंसा भी करेगी। PTO

उक्त तीनों कमिटी के सदस्यों के स्थान्तरण/सेवा निवृत/विद्यालय में छात्रों के नामांकन में बदलाव/रिक्त हुए स्थान पर प्रधानाध्यापक प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में कमिटी का सदस्यों के नाम के साथ पुनर्गठन कर लेगें जो उस सत्र में कार्य करेंगी।

विद्यालय शैक्षणिक समिति की बैठक प्रत्येक माह आयोजित की जायेगी तथा बैठक की कार्यवाही संधारित करते हुए विद्यालय में अभिलेख संचित किया जायेगा।

विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति की बैठक प्रत्येक माह आयोजित की जाय तथा सभी उप कमिटी की बैठक प्रत्येक पन्द्रह माह पर आयोजित किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक BMSP-03/2011-32 दिनांक 18.04.2011 के तहत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा विद्यालयस्तर पर गठित तदर्थ समिति रद्द एवं संशोधित की जाती है।

उक्त निदेश के आलोक में अपने जिले के राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट एवं उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में कमिटी का गठन दिनांक 15.04.2017 तक किया जाना सुनिश्चित करें तथा गठन संबंधी प्रतिवेदन बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद् को दिनांक 20.04.2017 तक आवश्यक रूप से प्रेषित करें ताकि SMDC के सदस्यों का प्रशिक्षण तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान संबंधी विद्यालयस्तरीय गतिविधियाँ 2017–18 में सुगमतापूर्वक संचालित किया जा सके।

विश्वासभाजन

3/4/17

(के० सेंथिल कुमार)
राज्य परियोजना निदेशक

कार्यालयः–जिला शिक्षा पदाधिकारी,पूर्णियाँ

(प्रशाखा–माध्यमिक शिक्षा)

अविनाश कुमार अमन, (बि0शि0से0)
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा,पूर्णियाँ।

ईमेल–आईडी
dposecpurnia@gmail.com

पत्रांक....156.... / मा0शि0।

सेवा में,

प्राचार्य / प्रभारी प्राचार्य / प्र0अ0 / प्र0प्र0अ0,
जिले के राजकीय / राजकीयकृत / प्रोजेक्ट /
उत्क्रमित माधमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय, पूर्णियाँ।

पूर्णियाँ, दिनांक 18 / 01 / 2025.

विषय : विद्यालय प्रबंध समिति का गठन करने के संबंध में।
प्रसंग : विशेष सचिव–सह–निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), शिक्षा विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापांक–389 दिनांक–03.03.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा विभागीय नियम के तहत तय समय सीमा के अन्दर प्रबंध समिति का गठन करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन की माँग की गई थी, जो अद्यावधि अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय को अप्राप्त है।

अंकनीय है कि कतिपय विद्यालयों में निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि विभागीय शर्ताधीन प्रबंध समिति का गठन नही किया गया है, जो विभागीय नियम के प्रतिकुल है।

अतः प्रासंगिक पत्र के आलोक में कंडिका–11 (क) एवं (ख) में निहित प्रावधान के तहत गठित नई प्रबंध समिति का अध्यक्ष एवं सचिव का विवरणी एवं मासिक गौष्ठी प्रतिवेदन माह जुलाई 2025 का प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में तीन दिनों के अन्दर अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि विद्यालय संचालन नियमानुसार किया सके। साथ ही मासिक गौष्ठी प्रतिवेदन प्रत्येक माह के अंतिम शुक्रवार को देना सुनिश्चित करें। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बरतने पर संबंधित प्रधानाध्यापक पर विभागीय कार्रवाही की बाध्यता होगी।

प्रपत्र

प्रखंडः– **विद्यालय का नामः–**

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष	प्रबंध समिति के बैठक किये गये माह का नाम	प्रबंध समिति के बैठक कि तिथि	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05

नोटः–वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 में किये गये प्रत्येक माह प्रबंध समिति के बैठक की पंजी एवं एजेंडा की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति उपरोक्त विहित प्रपत्र के साथ संलग्न होना अनिवार्य है।

अनुलग्नक : यथोक्त

विश्वासभाजन

17/02/25
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा,पूर्णियाँ।

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग।

अधिसूचना

पटना, दिनांक–03/09/2022

संचिका संख्या–मा0शि0/सा0प्र0अधि0–प0–99/93 (खण्ड) 389...../बिहार अराजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों (प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) अधिनियम 1981 की धारा–06 एवं संशोधित अधिनियम 1993 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के प्रत्येक राजकीयकृत उच्च विद्यालयों में प्रबंध समिति के गठन हेतु पूर्व में आवश्यक प्रावधान विभागीय अधिसूचना संख्या–436 दिनांक–28.04.1988, 410 दिनांक–23.05.2001 एवं 259 दिनांक–22.02.2002 के द्वारा किया गया है।

पूर्व से निर्गत सभी अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुए बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) अधिनियम 1981 की धारा–16 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजकीयकृत/परियोजना एवं उत्क्रमित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रबंध समिति का गठन निम्नांकित रूप से किया जाता है:–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ:–
   (क) यह नियमावली बिहार राजकीयकृत माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रबन्ध समिति के गठन एवं संचालन नियमावली, 2022 कहा जा सकेगा।
   (ख) इसका विस्तार सम्पूर्ण राज्य में होगा।
   (ग) यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत होगा।
2. परिभाषायें– जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो, इस नियमावली में:–
   (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है बिहार राजकीयकृत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों (प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) अधिनियम, 1981;
   (ख) 'उप–शिक्षा निदेशक' से अभिप्रेत है क्षेत्रीय उप–शिक्षा निदेशक;
   (ग) 'मान्यता प्राप्त विद्यालय' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राजकीयकृत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय;
   (घ) 'प्रधानाध्यापक' से अभिप्रेत है सक्षम पदाधिकारी द्वारा विद्यालय के प्रधान के रूप में नियुक्त शिक्षक, चाहे उसका पदनाम जो भी हो;
   (ड.) 'शिक्षक' से अभिप्रेत है किसी राजकीयकृत माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति जिसमें प्रधानाध्यापक भी सम्मिलित हैं;
   (च) 'शिक्षकेत्तर कर्मचारी' से अभिप्रेत है शिक्षकों को छोड़कर विद्यालय के अन्य सभी पूर्णकालिक कर्मचारी;
   (छ) 'प्रबंध समिति' से अभिप्रेत है इस अधिसूचना के अधीन गठित राजकीयकृत माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालयों की प्रबंध समिति;

(ज) 'अध्यक्ष' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा–08 (2) द्वारा मनोनीत अध्यक्ष;

(झ) सचिव' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा–08 में निर्दिष्ट पदेन सदस्य सचिव।

3. (क) बिहार अराजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण–ग्रहण) अधिनियम, 1981 एवं संशोधित अधिनियम 1993 की धारा–03 के अन्तर्गत प्रबंध समिति के अध्यक्ष का मनोनयन राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा, जिसका कार्यकाल 05 वर्ष अथवा राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त, जो भी पहले हो, होगा।

(ख) विभाग द्वारा जिन विद्यालयों में राज्य सभा सदस्य/लोक सभा सदस्य/विधान परिषद् के सदस्य को माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालय का प्रबंध समिति के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया जाएगा, उन विद्यालयों को छोड़कर विधान सभा क्षेत्र के निर्वाचित सदस्य अपने क्षेत्राधीन सभी अन्य माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रबंध समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे।

मनोनीत होने के उपरान्त राज्य सभा सदस्य/लोक सभा सदस्य/विधान परिषद् के सदस्य पत्र निर्गत तिथि से संबंधित विद्यालय के प्रबंध समिति के अध्यक्ष माने जायेंगे। ऐसे विद्यालयों में पूर्व से पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहें माननीय विधान सभा सदस्य अधिसूचना निर्गत की तिथि से अध्यक्ष नहीं रहेंगें।

मनोनयन, माननीय राज्य सभा/लोक सभा सदस्य द्वारा अधीच्छा प्राप्त होने पर विभाग द्वारा किया जाएगा। माननीय सभापति बिहार विधान परिषद् से प्राप्त अनुशंसा/सहमति के आलोक में विधान परिषद् सदस्यों का मनोनयन किया जा सकेगा। यदि माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद् के सभापति/बिहार विधान सभा के अध्यक्ष अथवा राज्य सरकार के मंत्री हों, तो वे अपना प्रतिनिधि मनोनीत कर सकेंगे एवं मनोनयन की सूचना एक पत्र द्वारा संबंधित विद्यालय के प्रबंध समिति के सचिव को देंगे। मनोनीत सदस्य पदेन अध्यक्ष नहीं होंगे, किन्तु सभी सदस्य बहुमत से अध्यक्ष का चयन कर लेंगे।

4. विद्यालय का प्रधानाध्यापक – पदेन सदस्य सचिव

5. विद्यालय के शिक्षकों में से उक्त विद्यालय से सेवा अवधि को वरीयता क्रम में वार्षिक चक्रानुक्रम द्वारा एक शैक्षणिक सत्र के लिए प्रधानाध्यापक द्वारा मनोनीत एक शिक्षक प्रतिनिधि .– सदस्य

6. प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अपने क्षेत्राधीन सभी माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रबंध समिति के पदेन सदस्य होंगे। जिस क्षेत्र में विद्यालय अवस्थित है उस क्षेत्र के एक सरकारी सेवक यथा नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल पदाधिकारी या अन्य पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी में से कोई एक अन्य पदाधिकारी सदस्य के रूप में रहेंगे। उक्त पदाधिकारी का मनोनयन अध्यक्ष एवं प्रधानाध्यापक की सहमति से होगा।

7. एक ऐसे व्यक्ति जिनके द्वारा विद्यालय की स्थापना हेतु चल/अचल संपत्ति दान स्वरूप दिया हो, अथवा एक ऐसे स्थानीय व्यक्ति जिन्होंने विद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो अथवा विद्यालय की विकास में अभिरूचि रखता हो – सदस्य

8. एक शिक्षा प्रेमी – सदस्य

9. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य – सदस्य

(ख) क्रमांक–08 एवं 09 का चयन क्रमांक–03, 04 एवं 06 के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। चयन इस ढंग से किया जाए, ताकि क्रमांक–08 एवं 09 के सदस्यों में से कोई एक सदस्य महिला रहे।

क्रमांक–07 के सदस्य का चयन क्रमांक–03, 04, 06, 08 एवं 09 के सदस्यों द्वारा बैठक में रख कर किया जाएगा।

(घ) अन्त में क्रमांक–05 के सदस्य का चयन होगा, जो क्रमांक–03, 04, 06, 08 एवं 09 के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी वरीयता को सुनिश्चित करेंगे।

10. नाम निर्देशित/संबंधित सदस्यों की पदावधि नाम निर्देशन/संबंधन की तिथि से पाँच वर्षों की होगी। परन्तु ऐसे नाम निर्देशित सदस्य, जिनका नाग निर्देशन किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने अथवा पद धारण करने के आधार पर किया गया है, वे प्रतिनिधित्व समाप्त होने पर अथवा पद से हटने के बाद समिति के सदस्य नहीं रह जाएँगे।

11. (क) प्रबंध समिति की बैठक सामान्यतः प्रतिमाह होगी। परन्तु कैलेन्डर वर्ष में चार बैठकें अनिवार्य रूप से माह जनवरी, अप्रैल, जुलाई एवं अक्टूबर में होंगी। अध्यक्ष की अनुमति से बैठक की तिथि का निर्धारण कर प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक–सह–पदेन सदस्य सचिव सभी को संसूचित करेंगे। विशेष परिस्थिति में निर्धारित तिथि को यदि बैठक नहीं हो पाती है, तो प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक–सह–पदेन सदस्य सचिव अध्यक्ष की अनुमति से नई तिथि का निर्धारण कर सकेंगे।

(ख) अध्यक्ष, बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यदि अध्यक्ष निर्धारित तिथि को किसी कारणवश बैठक में उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो वैसी स्थिति में बैठक की कार्यवाही पदेन सदस्य सचिव–सह–प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक की अध्यक्षता में निर्धारित कोरम एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति में सम्पादित की जायेगी।

12. विद्यालय प्रबंध समिति की शक्तियाँ एवं कृत्यः–

(1) प्रबंध समिति की शक्तियाँ एवं कृत्य निम्नलिखित होंगेः–

(क) प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों के कार्यकलापों पर निगरानी रखना एवं निम्नलिखित बातों का भी ध्यान रखना कि प्रधानाध्यापकः–

(i) विद्यालय में शैक्षणिक वातावरण में सुधार लायें;

(ii) विद्यालय में समुचित अनुशासन बनाये रखें;

(iii) शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों पर समुचित नियंत्रण रखें;

(iv) शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को समयनिष्ठ बनायें;

(v) विद्यालय के उपस्कर एवं अन्य सानग्री का संरक्षण करें एवं उनका लेखा रखें;

(ख) विद्यालय के रिक्त पदों पर नियमानुसार नियुक्ति के लिए सक्षम प्राधिकार का ध्यान आकृष्ट कराना।

(ग) शिक्षकों के गहन प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

(घ) विद्यालय के संचालन गें अभिभावकों एवं स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों के सहयोग की व्यवस्था करना।

(ड.) विद्यालय भवन की मरम्मती एवं सफाई की व्यवस्था करना;

(च) विद्यालय के लिए विकास कार्यक्रमों की व्यवस्था करना;

(छ) विद्यालय के विकास के लिए सरकार से प्राप्त अनुदान राशि को समय पर उपयोग एवं समुचित लेखा संधारण की व्यवस्था सुनिश्चित कराना; और

(ज) विद्यालय के हित में अन्य आवश्यक कार्रवाई करना।

(झ) समिति के सभी निर्णय बहुमत द्वारा लिए जाएँगे।

13. प्रबंध समिति के पदेन सचिव (प्रधानाध्यापक) के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे:–

(क) अध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर प्रबंध समिति की बैठक समय–समय पर बुलाना;

(ख) बैठक की कार्यवाही तैयार करना और उसे समुचित ढंग से रखना;

(ग) विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों पर पूर्ण नियंत्रण रखना;

(घ) विद्यालय में समुचित अनुशासन बनाये रखना;

(ङ) विद्यालय में शिक्षण की प्रगति पर ध्यान रखना;

(च) पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षकों द्वारा दिए गए शिक्षण की प्रगति पर ध्यान रखना;

(छ) विद्यालय, भवन, उपस्कर, पाठ्य सामग्री, कक्षाओं, प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि की समुचित सफाई एवं रख–रखाव पर ध्यान देना;

(ज) विद्यालय की मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षाओं का समय पर संचालन और पुस्तिकाओं के सही मूल्यांकन एवं समय पर परीक्षाफल के प्रकाशन पर नियंत्रण करना;

(झ) विद्यालय संचालन के लिए सरकार से प्राप्त धनराशि तथा विद्यालय निधि का नियमानुसार एवं समुचित उपयोग करना एवं संबंधित लेखा का संतोषप्रद संधारण करना;

(ञ) विद्यालय लेखा का समय–समय पर अंकेक्षण कराना तथा अंकेक्षण आपत्तियों का निराकरण करना;

(ट) विद्यालय में शिक्षा के साथ–साथ खेल–कूद, वाद–विवाद प्रतियोगिता अन्य बाल विकासोपयोगी कार्यक्रम की व्यवस्था करना;

(ठ) शिक्षकों के परामर्श से शैक्षणिक तथा अन्य उपयोगी कार्यक्रनों का निर्धारण तथा स्कूल कैलेन्डर लागू करने की व्यवस्था करना; और

(ड) विद्यालय का चतुर्दिक विकास करना। साथ ही सौहार्दपूर्ण शैक्षणिक वातावरण बनाये रखने की दिशा में अभिभावक–शिक्षक एसोसिएशन गठित कराकर इनकी बैठकें समय–समय पर आयोजित करना। अभिभावकों की बैठक प्रतिवर्ष कम–से–कम दो बार अवश्य बुलायी जाएगी।

14. कोरम के लिए कम–से–कम तीन सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। किन्तु इन तीन सदस्यों में कम–से–कम दाता सदस्य/शिक्षा प्रेमी सदस्य/अनुसूचित जाति/जनजाति सदस्यों में से एक की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

15. राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा प्रबंध समिति का अवक्रमण कर सकेगी अथवा उसे स्थगित/निलम्बित कर सकेगी। किन्तु यह अवक्रमण/स्थगन/निलम्बन संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी के प्रतिवेदन पर ही किया जा सकेगा।

16. (क) विद्यालय के विकास कोष/छात्र कोष एवं अन्य राशि का व्यय निर्गत विभागीय पत्र/परिपत्र एवं निदेश के आलोक में किया जाएगा।

(ख) विद्यालय के विकास कार्य योजना/मद/कार्य के लिए समिति ही स्वीकृति प्रदान करेगी। योजना/मद/कार्य को सम्पन्न कराने हेतु राशि को भी स्वीकृति समिति ही प्रदान करेगी। तद्नुसार राशि की निकासी की जा सकेगी। विकास निधि विद्यालय के प्रधानाध्यापक (पदेन सचिव होंगे) तथा (शिक्षक प्रतिनिधि को छोड़कर) किसी भी एक

शिक्षक जिसे प्रबंध समिति नामित करेगी, के संयुक्त नाम से खोले गए बचत खाता में राशि जमा की जाएगी तथा इनके संयुक्त हस्ताक्षर से राशि की निकासी की जाएगी।

17. समिति का अवक्रमण/स्थगन/निलम्बन हो जाता है, तो प्रधानाध्यापक तथा जिस प्रखण्ड में विद्यालय अवस्थित है, उस प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी और राज्य सरकार द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति, जो यथा निर्देशित अधिसूचित होगी, की एक उप समिति, कार्यकारी प्रबंध समिति के रूप में प्रबंध समिति के कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन कर सकेगी। किन्तु यह व्यवस्था अधिकतम मात्र तीन माह के लिए चालू रहेगी। इस अवधि के अन्तर्गत नियमित प्रबंध समिति को पुनर्जीवित करने की कार्रवाई करेगी।

18. जिला शिक्षा पदाधिकारी विद्यालय के प्रबंध समिति के गठन एवं बैठक के अनुश्रवण हेतु उत्तरदायी होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(मनोज कुमार)
विशेष सचिव–सह–निदेशक (ग्रा0शि0),
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– मा0शि0/सा0प्र0अधि0–प0–99/93 (खण्ड)-389 पटना, दिनांक–03/03/2022

प्रतिलिपि:– प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग/प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग/सभी जिला पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी उप विकास आयुक्त/सभी नगर आयुक्त, नगर निगम/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निकाय/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3/3/22.

विशेष सचिव–सह–निदेशक (ग्रा0शि0),
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।